



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के अभियोग में 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा 01 बाल अपचारी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा, एवं ₹50,000/- अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कुरारा में पंजीकृत अभियोग की धारा 376डी, 506 भा0द0सं0 एवं 06 पॉक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त कोमल सिंह पुत्र सुन्दर लाल निवासी रापढ़ दिवारा, थाना कालपी, जनपद जालौन को आजीवन कारावास तथा एक बाल अपचारी को 20 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 25,000-25,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक  
एडीजीसी रुद्र प्रताप  
सिंह



विवेचक-  
निरीक्षक महेन्द्र  
कुमार वर्मा



पैरोकार  
थाना - कुरारा  
कां0- संजीत कुमार